न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर

प्रकरण संख्याः– 34/2021 तारीख प्रवेशः– 13.12.2021 तारीख निर्णय :– 30.03.2022

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का राजपुर बड़ा

बनाम

1. हनुमानसिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति गुजर तहसील राजगढ़ जिला अलवर
2. दिलिपसिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति गुजर तहसील राजगढ़ जिला अलवर
3. राजेश कुमार रघुवीर सिंह जाति गुजर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

–:निर्णय:–

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजपुर बड़ा द्वारा राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि गैरसायलान हनुमानसिंह, दिलिपसिंह, राजेश पुत्रान रघुवीर सिंह जाति गुर्जर तहसील राजगढ़ जिला अलवर ने वाके ग्राम राजपुर बड़ा की राजकीय चारागाह भूमि के ख0न0 581रकबा 0.40 हे0 में से 0.01 हे0 पर गैर मु0 बोरिंग खुदवाकर सम्वत् 2078 मे अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। नोटिसों की विधिवत् तामिल हुई। गैरसायलान की ओर से दिलिप उपस्थित आया। गैरसायलान की ओर से नोटिस का कोई जवाब व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रकरण के सम्बंध में लोकायुक्त प्रकरण परिवादी श्री सतीस कुमार धकड़ ग्राम राजपुर बड़ा द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध बोंरिग के समब्ध में विचाराधीन है। चारागाह भूमि की नियमन हेतु सिफारिस किया जाना विधि विरूद्ध है। अतः गैरसायलान के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर बेदखली के आदेश दिये जाते है, साथ ही सरह लगान के 1.00 रू की 50 गुणा राशि 50/–रू पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का राजपुर बड़ा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा व पटवारी हल्का राजपुर बड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 30.03.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 04 पर पी. पै. 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार राजगढ़
जिला अलवर